सं.05/1/2020-आईईपीएफ

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5 वां तल, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक: 27 नवंबर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महा प्रबंधक के पद के लिए आवेदनों का आमंत्रण।

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर निम्नलिखित पद भरने के प्रयोजनार्थ पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	तैनाती का स्थान
1.	महा प्रबंधक	01	रू. 118500-214100 के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13	नई दिल्ली

2. **महा प्रबंधक के लिए पात्रता की शर्तें (आईईपीएफ प्राधिकरण)**

केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारी

(क) (i) नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण; अथवा

(ii) 78800-209200 रु के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा

(iii) 67700-208700 रु के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में दस वर्षों की नियमित सेवा सहित।

वांछनीय: प्रशासन/स्थापना में अनुभव।

3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष हैं।

4. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि महा प्रबंधक के लिए 5 वर्ष होगी और इसे इस संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

5. निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक I) में सभी प्रकार से विधिवत् भरे गए आवेदन, दो प्रतियों में, छह सप्ताह के भीतर उचित माध्यम के जरिए श्री संजय जैन, निदेशक, आईईपीएफ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा नं. 515, पांचवा तल, ए विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजे जाएं।

6. महा प्रबंधक की सेवाओं से संबंधित नियमों और शर्तों को विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (भर्ती वेतन और महा प्रबंधक तथा सहायक महा प्रबंधक की सेवाओं से संबंधित अन्य नियमों और शर्तें) नियम, 2017 और उसके बाद किए गए संशोधनों के द्वारा विनियमित किया जाएगा जो की आईईपीएफ प्राधिकरण वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन से संबंधित

निर्धारित प्रपत्र को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in और www.iepf.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

7. इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by SANJAY JAIN
Date: 2020.11.27 14:03:57 IST

(संजय जैन)

निदेशक

दूरभाष: 011-23389227

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारें।
3. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को सूचनार्थ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अवर सचिव (श्री जॉर्ज दीपक टोपो - अवर सचिव) को व्यापक प्रचार के प्रयोजनार्थ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इस रिक्त स्थान से संबंधित परिपत्र को डालने के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने के अनुरोध के साथ।
6. सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय समापक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय।
7. शास्त्री भवन, नई दिल्ली में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी अधिकारी
8. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे इस रिक्त स्थान से संबंधित परिपत्र को विशेष रूप से (वरीयता आधार पर स्क्राल) मंत्रालय और आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करें।

अनुलग्नक-I

आवेदन हेतु प्रपत्र

1. पद के लिए आवेदन
2. मोटे अक्षरों में नाम और पता
3. जन्मतिथि (ईस्वी वर्ष)
4. शैक्षिक अर्हताएं
5. कि क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं संतोषजनक हैं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित पद के समकक्ष माना गया है तो कृपया उसके बारे में प्राधिकरण को सूचित करें)
6. कालक्रम के साथ सेवा का विवरण (यदि नीचे दिया गया स्थान कम हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् रूप में अनुप्रमाणित पृथक सीट पर सलंग्न करें)

कार्यालय/संगठन	**धारित पद (नियमित)**	**से**	**तक**	**वेतनमान**	**अनुभव की अवधि**

7. वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान वेतन स्तर, इस समय प्राप्त किया जा रहा प्रति माह कुल पारिश्रमिक
8. कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं तो उसे, नीचे कम स्थान होने की स्थिति में, पृथक शीट पर संलग्न करें
9. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ें वर्ग से संबंधित हैं
10. दस्तावेज की संख्या सलंग्न करें और उसका उल्लेख पृथक सूची में किया जाए

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दूरभाष सं. ....

तिथि .... पता ....

<u>प्रमाणपत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी से संबंधित ब्यौरों को सत्यापित कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है।
2. अधिकारी नियमित आधार पर पद/समतुल्य पद धारित किए हुए हैं।
3. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित/विचाराधीन नहीं है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है।
   एपी एआर .... वर्ष से संबंधित प्रतियां संलग्न हैं।

(सवंर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/
विभागाध्यक्ष के मोहर सहित
हस्ताक्षर)

दूरभाष: ....